राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

[redacted] संख्या 2290/2010/उदयपुर

उनवान-- मै0 रॉयल न्यूमेटिक प्रोडक्ट्स, उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-द्वितीय, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुक्म की ता में जारी हु
08.04.2015	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल -- सदस्य** **श्री मनोहर पुरी -- सदस्य** अपीलार्थी अभिभाषक अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री आर.के. अजमेरा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमे निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी एमेनेस्टी स्कीम वर्ष 2015 अधिसूचना संख्या एफ/12(16) एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते है, इस हेतु प्रकरण वापस (Withdraw) लेना चाहते है। इस पर विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा अपील को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील को विदड्रा करने की अनुमति दी जाती है। अतः अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2290/2010/उदयपुर जरिये विदड्राल (Withdrawal) खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। (मनोहर पुरी) सदस्य (मदन लाल) सदस्य	